अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
	न्यायालय, उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0–02–116/2013 अपीलार्थी – श्रीमती नीलम देवी बनाम रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार –: **आदेश** :– प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1478 दिनांक 08.10.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में हस्तांतरित होकर दायर किया गया है। इस अपीलवाद में आरोप यह है कि दिनांक 4.06.2012 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी राघोपुर द्वारा केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें सेविका द्वारा कार्य में रूची नहीं लेने, पोषाहार नहीं बनाने का आरोप निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा लगाया गया। एवं यही आरोप लगाकर चयन मुक्ति के अनुसंशा की गई। निरीक्षी पदाधिकारी बाल विकास परियोजना राघोपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा कार्यालय पत्रांक 1071 प्रो0 दिनांक 24.07.2012 द्वारा सेविका नीलम देवी से स्पष्टीकरण की माँग किया गया। सेविका द्वारा अपने स्पष्टीकरण में इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट कराया कि दिनांक 04.06.2012 को मेरे केन्द्र सं0 69 आँगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिक विद्यालय बतरान, पंचायत– फिगंलास का न तो किसी बाल विकास परियोजना राघोपुर द्वारा और न ही किसी महिला पर्यवेक्षिका	

द्वारा निरीक्षण किया गया है फिर भी मैं अपने स्पष्टीकरण का जबाव देने हेतु उपस्थित हूँ। सही रूप में निरीक्षण एक दिन बाद दिनांक 05.06.12 को सी0डी0पी0ओ0 राघोपुर किया। जिसकी संपुष्टि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा भी किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने अपने पत्रांक 1516 दिनांक 19.07.14 द्वारा इस बात का उल्लेख अपने पत्र में किये हैं कि लिपिकीय भूलवश निरीक्षण 04.06.12 लिखा गया है जबकि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी राघोपुर का जाँच दिनांक 05.06.12 को ही किया गया था।

केन्द्र पर अनियमितता बरतने एवं सेविका द्वारा स्पष्टीकरण देने के बावजूद भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा केन्द्र की सेविका श्रीमती नीलम देवी का चयन रद्द करने की कार्रवाई ज्ञापांक 1478 दिनांक 08.10.12 द्वारा किया गया।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा केन्द्र में अनियमितता बरतने एवं की गई कार्रवाई के विरूद्ध इस न्यायालय में सुनवाई की गई जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता द्वय ने अपने-अपने पक्ष कागजात एवं साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत किए जिसे अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बतलाया कि इस अपीलवाद में संदर्भित विषय वस्तु सही यही है कि दिनांक 05.06.12 को सी0डी0पी0ओ0 राघोपुर द्वारा केन्द्र सं0 69 बतरान ग्राम पंचायत फिगंलास का निरीक्षण 10:30 बजे पूर्वाह्न में किया गया निरीक्षण के समय केन्द्र खुला था सेविका/सहायिका केन्द्र पर मौजूद थी तथा केन्द्र का संचालन कर रही थी केन्द्र पर उस समय 27 बच्चे आ गए थे जिसमें से कुछ बच्चे केन्द्र के बगल वाले घर में पुजा देखने चले गए थे, सी0डी0पी0ओ0 राघोपुर के निरीक्षण के समय 10 बच्चे केन्द्र पर थे एवं पोषाहार बनाने की तैयारी चल रही थी सभी पंजी भी केन्द्र पर मौजूद था निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा सभी कुछ सामान्य पाकार अपना निरीक्षण टिप्पणी दर्ज भी किए जिसे अवलोकन भी कराया गया। निरीक्षण पंजी में निरीक्षी पदाधिकारी का वक्तव्य इस प्रकार अंकित है :– आज दिनांक 05.06.2012 को केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया सेविका एवं सहायिका उपस्थित थी केन्द्र पर बच्चों की कुल उपस्थित निरीक्षण समय 10 थी किन्तु उपस्थिति पंजी पर 27 बच्चे की उपस्थिति बनाई गई थी, उसी उपस्थिति के आधार पर पोषाहार बनाने की तैयारी चल रही थी, सेविका को पुनः चेतावनी दी गई।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बतलाया कि निरीक्षणोपरान्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी राघोपुर द्वारा जो जाँच प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को जो भेजा गया उस में यह भी अंकित है कि सेविका द्वारा

कार्य में रूची नहीं, पोषाहार नहीं बनाया गया था, चयन मुक्ति, के अनुसंशा। जब कि सेविका ने अपने स्पष्टीकरण में अपने विरूद्ध लगाये गये आरोप को निराधार बताते हुए बतलाया कि वे पूर्ण अभिरूची के साथ केन्द्र का संचालन सही रूप से करती आ रही है। इसके सबूत के तौर पर उन्होंने केन्द्र का निरीक्षण पंजी का अवलोकन कराया जिसमें पूर्व की तिथि में केन्द्र के संचालन में किसी प्रकार का अनियमितता नहीं होने की बातें अंकित है और न ही पोषाहार नहीं बनाने की बात ही बताई गई है, स्वयं निरीक्षी पदाधिकारी ने मंतब्य में यह अंकित किये हैं कि पोषाहार बनाने की तैयारी चल रही थी किन्तु निम्न न्यायालय सुपौल द्वारा सारे साक्ष्यों एवं सबूतों को दरकिनार करते हुए नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध चयन मुक्ति का आदेश दिया गया जो गलत है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने इस न्यायालय को बतलाया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा पूर्व में दिनांक 24.10.2011 को जब केन्द्र का निरीक्षण किया गया तो बच्चे की संख्या 40 पाया गया एवं कार्य संतोषप्रद पाया गया तत्पश्चात् 13.04.2012 को भी केन्द्र का निरीक्षण के समय 29 बच्चे उपस्थित थे एवं कार्य संतोषप्रद पाया गया पुनः 05.06.2012 को केन्द्र की निरीक्षण के समय केन्द्र संचालित पाया गया एवं बच्चों का संख्या 27 था एवं पोषाहार बनाने की तैयारी चल रही थी। उनका यह भी कहना था कि केन्द्र का संचालन सही रूप से नहीं होता तो बच्चों की संख्या 40 कभी नहीं होती। निरीक्षण तिथि एवं समय पर भी 10 बच्चे थे किन्तु 17 बच्चे अगल–बगल में उत्सुकतावश पूजा देखने चले गए थे उन्हें निरीक्षी पदाधिकारी के समक्ष बुलाया भी गया था जिसे उन्होंने अंकित नहीं किया बावजूद इसके 10 बच्चे तो थे इस प्रकार निरीक्षी पदाधिकारी का यह कहना था कि कार्य में रूची नहीं है अनुचित, भ्रामक एवं तथ्यहीन है।

उन्होंने यह भी बतलाया कि छोटे बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं, उनमें उत्सुकता एवं चंचलता अधिक रहती है, थोड़ी देर एक ही जगह पर बैठने पर कौहुलतावश कुछ अधिक जानने एवं समझने के जरूरत से उछल–कूद एवं भाग–दौड़ करना प्रारंभ कर देते हैं, इसी क्रम में बगल के केन्द्र पर बच्चे पूजा होने पर देखने चल गए थे, निरीक्षी पदाधिकारी के आने के समय वे केन्द्र पर आ गए थे जिनकी गिनती न कर मात्र 10 बच्चे की गिनती को मान लिया गया।

किन्तु सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि बच्चों को समेट कर रखना सेविका का दायित्व थी बच्चों को समय से पहले इधर–उधर चला जाना सेविका की लापरवाही दर्शाता है, आशंका ऐसी भी हो सकती है कि अधिक संख्या दिखा कर पोषाहार की राशि गवन करने की आशंका बनती है।

उपरोक्त सारे विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल का आदेश ज्ञापांक 1478 दिनांक 08.10.12 पूर्णतः सही आदेश नहीं है, उसे निरस्त किया जाता है, किन्तु सेविका जो अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक नहीं निभाई है, उन्हें भी कुछ आर्थिक दंड जिसमें पन्द्रह दिनों की पोषाहार राशि जितनी होती है उसे सरकारी खजाने में जमा करने हेतु आदेश निर्गत करती है, तथा भविष्य के लिए चेतावनी दी जाती है कि वे केन्द्र पर अधिकतम बच्चे की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए एवं पोषाहार कार्यक्रमों को अच्छे ढ़ंग से संपादित करेंगी। इसके साथ ही सेविका नीलम देवी आदेश निर्गत तिथि से सेविका पद पर संबंधित केन्द्र पर कार्य करेंगी।

लेखापित एवं संशोधित

17.11.2014.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल सहरसा

17.11.2014.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल सहरसा